राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

-:: निर्णय::-

भागीरथ व अन्य :बनाम : राजस्थान राज्य

एकल पीठ फौजदारी अपील संख्या: **290/1999**
विरूद्ध निर्णय दिनांक : 26.5.1999, जो सेशन प्रकरण संख्या 20/1998 में विशिष्ठ न्यायाधीश (स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम प्रकरण), हनुमानगढ़ द्वारा पारित किया गया।

* * * * *

निर्णय दिनांक : 1 फरवरी, **2007**

-: उपस्थित-

माननीय न्यायाधिपति श्री कृष्णकुमार आचार्य

अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री के.के.कालिया,
जन अभियोजक श्री एस.एन.तिवारी।

* * * * *

न्यायालय द्वारा:

यह अपील विशिष्ठ न्यायाधीश (स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम प्रकरण), प्रतापगढ़ द्वारा पारित निर्णय एवं दण्डादेश दिनांक 26.5.1999 की नाराजगी में अपीलाण्ट भागीरथ व भंवरलाल द्वारा प्रस्तुत की गई है। अपील एडमिट की गई एवं अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया तथा जन अभियोजक को नोटिस दिया गया।

रेकर्ड के अवलोकन से जो तथ्य सामने आए हैं, संक्षेप में इस प्रकार

हैं कि दिनांक 12.6.1998 को दिन में तीन बजे आबकारी निरीक्षक, वृत्त हनुमानगढ़ को मुखबीर की सूचना मिली कि भागीरथ पुत्र गंगाराम एवं भंवरलाल पुत्र रामेश्वरलाल जाट, भागीरथ के मकान पर अवैध चुरा डोडा पोस्त का धन्धा करते हैं, उनकी तलाशी ली जाएं तो भारी मात्रा में डोडा पोस्त की बरामदगी हो सकती है। सूचना विश्वसनीय होने से और मकान की तलाशी के लिए न्यायालय से तुरन्त सर्च वारण्ट प्राप्त करने से काफी विलम्ब होगा और न्यायालय का समय भी समाप्त हो चुका है, सर्च वारण्ट लेने में समय लगेगा, इससे माल के खुर्द-बुर्द होने की भी संभावना है, आबकारी निरीक्षक, वृत्त हनुमानगढ़ ने धारा 42 स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम (जिसे आगे अधिनियम से सम्बोधित किया जाएगा) के तहत शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए बरामदगी की कार्यवाही आरम्भ की। माफिक इतिला उसके मकान पर साढ़े चार बजे पहुंचे तो भागीरथ एवं भंवरलाल एक मोपेड पर बोरी बांधते नजर आए, जिन्हें मौके पर रोककर यथास्थिति बनाए रखने की हिदायत दी गई। उसके बाद मौतबीरों के सामने मकान की तलाशी ली गई तो पाया कि जिस बोरी को भागीरथ एवं भंवरलाल मोपेड पर बांध रहे थे उसमें पोस्त चुरा भरा हुआ है। मकान में घुसने पर पांच बोरियों में डोडा पोस्त चुरा भरा पाया गया, जिसका उनके पास कोई लाईसेन्स नहीं था। बरामद बोरियों का माप किया गया तो कुल 222 किलोग्राम अवैध पोस्त होना पाया गया। 6 बोरियों में से दो-दो नमूने 250-250 ग्राम के निकाल कर कपड़े की थैलियों में सील मोहर किए गए और बोरियों को अलग से सील किया गया। मौके पर कागजात बनाए गए व नक्शा मौका बनाया गया। मोपेड भी जब्त की गई। प्रथम

सूचना दर्ज की गई एवं मुकदमे की तफ्तीश की गई व गवाहों के बयान लिए गए व अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया। जब्तशुदा माल का रासायनिक परीक्षण करवाया, जिसकी रिपोर्ट के अनुसार डोडा चुरा पाया गया और जिसमें मोरफीन की मात्रा पाई गई। बाद तफ्तीश अभियुक्त के विरूद्ध धारा 8/15 अधिनियम के तहत चार्जशीट प्रस्तुत की गई। अधीनस्थ न्यायालय में अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 8/15 अधिनियम के तहत बहस चार्ज सुनी जाकर आरोप लगाए गए एवं अभियुक्तगण को सुनाए समझाए गए। अभियुक्तगण ने जुर्म करने से इनकार किया और अन्वीक्षा चाही। अभियोजन पक्ष की ओर से साक्ष्य में पी.ड.1 जगदीश, पी.ड.2 गुरदयाल सिंह, पी.ड.3 गुरदीपसिंह, पी.ड.4 जनकराज, पी.ड.5 दुलीराम, पी.ड.6 रविप्रकाश, पी.ड.7 जयनारायण, पी.ड.8 शिवसिंह एवं पी.ड.9 जगदीश प्रसाद रंगा के बयान कराए गए, तत्पश्चात् अभियोजन पक्ष ने साक्ष्य समाप्त की। अभियुक्तगण के बयान धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत लिए गए। दोनों अभियुक्तगण ने साक्ष्य को गलत होना कहा और यह भी जाहिर किया कि बताए गए मकान व मोपेड से उनका कोई सम्बन्ध नहीं है न ही बताए गए बरामदगी के मकान में कभी रहे हैं न उससे कोई बरामदगी हुई। अभियुक्तगण ने कोई साक्ष्य सफाई पेश नहीं की। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अधीनस्थ न्यायालय ने साक्ष्य का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 42, 50 व 57 अधिनियम की पालना पूर्ण रूप से करना पाया। अभियुक्तगण के कब्जे से माल की बरामदगी होना भी प्रमाणित पाया। सूत्र साक्ष्य के बारे में भी साक्ष्य पर विचार किया और बरामदगी से लेकर विधि विज्ञान प्रयोगशाला तक पहुंचा तब तक माल सीलबन्द हालत में रहा, अत:

अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप पूर्ण रूप से प्रमाणित पाए गए और अभियुक्तगण को धारा 8/15 अधिनियम के अपराध के लिए 11-11 वर्ष के कठोर कारावास तथा एक-एक लाख रूपए जुर्माना, अदम अदायगी जुर्माना दो-दो वर्ष के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा से दण्डित किया, जिसकी नाराजगी में यह अपील है।

इस अपील में दोनों पक्षों की बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया व विचार किया।

इस अपील में योग्य अभिभाषक अपीलाण्ट का मुख्य तर्क यही रहा कि दिनांक 12.6.1998 को अपीलार्थीगण से वजह सबूत व सैम्पल लिए गए और दिनांक 7.7.1998 को सैम्पल जांच हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजे गए। बरामदगी से लेकर दिनांक 7.7.1998 तक सैम्पल कहां पर, किस प्रकार से तथा किसकी अभिरक्षा में रहे, इसकी कोई साक्ष्य गवाहो के बयानो या दस्तावेजी साक्ष्य में नहीं आई है। उनका यह भी तर्क रहा कि पी.ड.8 शिवसिंह ने अपने न्यायालय बयानो में 12.6.1998 को सैम्पल मौके पर लेना बताया है, उसके उपरान्त उन सैम्पल को कहां ले जाया गया, कहां पर रखा गया और किस प्रकार से रखा गया व किसकी अभिरक्षा में रहा और सुरक्षित रूप से सीलबन्द हालत में रहा अथवा नहीं, अपने न्यायालय बयानो में नहीं बताया। इसी प्रकार जांच अधिकारी पी.ड.9 जगदीश प्रसाद ने भी अपने न्यायालय के बयानो में वजहसबूत व उसके सैम्पल बरामदगी से लेकर विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजने तक कहां ले जाया गया और किस प्रकार रखा गया और किसकी अभिरक्षा में रखा और सुरक्षित रखा गया

अथवा नहीं, उसने अपने न्यायालय बयानो में कोई बात नहीं कही है। पी.ड.6 रविप्रकाश ने अपने मुख्य बयानो में मात्र यही बताया कि सारी काय्रवाही मौके पर करने के बाद वजह सबूत मय मुल्जिमान के कार्यालय लौटकर आए। इस गवाह के बयानो का समर्थन अन्य कोई गवाह नहीं करता और न दस्तावेजी साक्ष्य से समर्थन मिलता है। इस गवाह ने भी अपने बयानो में यह नहीं बताया कि सैम्पल किसकी अभिरक्षा में कहां पर रहे और किसके पास रहे, सुरक्षित हालत में रहे अथवा नहीं। इस प्रकार अभियोजन ने न्यायालय में सैम्पल सुरक्षित हालत में कहां पर, किसके पास किस प्रकार रहे, साबित करना तो दूर सैम्पल कहां रहे, ऐसी भी कोई मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की। उनका तर्क है कि अभियोजन पर भारी भार था कि न्यायालय में साबित करे कि सैम्पल विधि विज्ञान प्रयोगशाला तक पहुंचे तब तक सुरक्षित हालत में रहे हों, अत: प्रदर्श पी.22 रिपोर्ट अभियुक्तगण के विरूद्ध नहीं पढ़ी जा सकती, अत: इस आधार पर अभियोजन का केस प्रमाणित नहीं माना जा सकता और अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे। उक्त तर्क के साथ उनका यह भी तर्क रहा कि पी.ड.8 शिवसिंह का यह स्पष्ट कथन रहा कि मुकदमा दर्ज होने के बाद इसका अनुसन्धान जगदीश प्रसाद रंगा द्वारा किया गया और गवाहों के बयान लिए गए और अन्य अनुसन्धान किया गया। व अनुसन्धान पर पत्रावली उसे दी, इस पर उसने सैंपल जो लिए थे वह विधि विज्ञान प्रयोगशाला को जरिए प्रदर्श पी.16 के भेजे गए। मगर जगदीश प्रसाद का यह कथन रहा कि 13.6.1998 को आबकारी निरीक्षक के पद पर वह तैनात था और आबकारी अधिकारी के आदेश दिनांक 13.6.1998 की पालना में

हनुमानगढ़ पहुंचकर शिवसिंह, निरीक्षक, वृत्त हनुमानगढ़ से सरकार बनाम भागीरथ आदि, एफ.आई.आर. नम्बर 8/1998 की अभियोग पत्रावली उसने ली और मुल्जिमान से तफ्तीश की। आगे उसका यह भी कथन रहा कि मुकदमे में चालान पेश होने तक पत्रावली उसके पास ही रही। जब उसे पत्रावली प्राप्त हुई तब वह नोहर में तैनात था। इस प्रकार शिवसिंह और जगदीश प्रसाद के बयानो में भारी विरोधाभास है। शिवसिंह का यह कथन कि जगदीश प्रसाद से पत्रावली मिलने पर सैम्पल जांच हेतु भिजवाए, जबकि जगदीश प्रसाद का कथन है कि 13.6.1998 को पत्रावली प्राप्त की और चालान पेश होने तक पत्रावली उसके पास ही रही। शिवसिंह, अनुसन्धान अधिकारी भी नहीं था, उसने किस हैसियत से माल विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा, स्पष्ट नहीं किया गया। इस प्रकार अभियोजन द्वारा बनावटी केस बनाया गया है। जगदीश प्रसाद द्वारा जब 13.6.1998 को ही पत्रावली प्राप्त कर ली गई और चालान पेश होने तक पत्रावली उसके पास रही तो 7.7.1998 को शिवसिंह द्वारा किस प्रकार सैम्पल भिजवाया गया, कोई स्पष्टीकरण नहीं मिलता। शिवसिंह का यह भी कथन है कि प्राप्त सैम्पल विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजे गए और बरामदगी के समय तक हनुमानगढ़ टाऊन में ही तैनात रहा। प्रयोग की गई सील उसके पास ही रही और उसे किसी मौतबीर या अन्य व्यक्ति को नहीं सौंपी। इस प्रकार उनका तर्क है कि जब अव्वल में अभियोजन पक्ष यह नहीं बता पाया कि माल बरामदगी के बाद किसके कब्जे में, किस हालत में रहा, सील जगदीश प्रसाद के पास ही रही है और किसी को सौंपी नहीं, सील का दुरूपयोग कर सैम्पल कभी भी बदला जा सकता है या सैम्पल से छेडछाड की जा सकती है, इससे नहीं नकारा जा

सकता।

उपरोक्त सभी आधारों पर उनका तर्क रहा कि अभियोजन पक्ष यह बताने में असफल रहा कि वजह सबूत सैम्पल बरामदगी से लेकर जांच हेतु भेजने तक 25 दिन तक किसके पास, किस प्रकार रहे, इसकी साक्ष्य रेकर्ड पर नहीं आई। विकल्प में उनका यह भी तर्क रहा कि यदि कुछ समय के लिए माना जाएं कि सैम्पल शिवसिंह के ऑफिस में या शिवसिंह के पास रहे और शिवसिंह के पास ही सील रहती है, उनका दुरूपयोग किया जा सकता है या उनसे छेड़खान की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इस प्रकार विधि विज्ञान प्रयोगशाला रिपोर्ट अभियुक्तगण के विरूद्ध नहीं पढ़ी जा सकती क्योंकि जो माल बरामद किया गया उसी के नमूने विधि विज्ञान प्रयोगशाला पहुंचे हो। इन आधारों पर ही अभियोजन का केस फेल हो जाता है और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त बिन्दुओ पर पूर्ण रूप से विचार नहीं किया है। उन्होंने अपने तर्क समर्थन में क्रिमिनल लॉ रिपोर्टर (सुप्रीम कोर्ट) 84 (स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम दौलतराम), ए आई आर 1994 सुप्रीम कोर्ट 117 (वलसाला बनाम स्टेट ऑफ केरल) एवं 1998 क्रिमिनल लॉ रिपोर्टर (राजस्थान) 514 (गुरमेल सिंह बनाम राजस्थान राज्य) पर आए विनिश्चय पेश किए।

इसके विपरीत योग्य जन अभियोजक ने अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के समर्थन में बहस की और तर्क किया कि अधीनस्थ न्यायालय के सामने यह बिन्दु उठाया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने यह माना है कि मालखाना रजिस्टर की प्रतिलिपि पेश नहीं की गई न प्रदर्शित कराई गई, मगर अभियुक्तगण की ओर से भी किसी गवाह से जिरह नहीं की गई इस

कारण यही माना जाएगा कि नमूने शिवसिंह के कब्जे में ही रहे। इस आधार पर राजस्थान राज्य बनाम दौलतराम (उपरोक्त) में प्रतिपादित सिद्धान्त इस प्रकरण में लागू नहीं होते। अधीनस्थ न्यायालय ने यह भी पाया कि सभी गवाहो के बयान इस न्यायालय में कराए गए, जिनके कब्जे में माल व नमूने रहे। इस प्रकार उनका तर्क है कि प्रदर्श पी.22 रिपोर्ट साक्ष्य में पढ़े जाने योग्य है। उनका यह भी तर्क रहा कि शिवसिंह के पास ही बरामदगी से लेकर नमूने विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजे तब तक उनके पास ही रहा है। इस प्रकार तमाम सूत्र साक्ष्य पेश की गई है। अत: अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप नहीं किया जावे। योग्य जन अभियोजक ने अपने तर्क समर्थन में 2000 सुप्रीम कोर्ट केसेज (क्रिमिनल) 506 (अशोक कुमार बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा) विनिश्चय पेश किया।

मैंने दोनों पक्षों के तर्को पर विचार किया। जो विनिश्चय योग्य अभिभाषक अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं उनका आदर पूर्वक अवलोकन किया गया।

स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम दौलतराम (उपरोक्त) वाले विनिश्चय में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्न सिद्धान्त दिया है :

> "It is admitted case of the prosecution that the samples changed several hands before reaching the public analyst. In other words, the samples remained in the custody of S.I. Aidanram, P.S. Udai Mandir, Nathu Singh, Gajraj Singh, Jawan Singh and the Assistant Public Analyst and yet non of these witnesses were examined by the prosecution to prove that while in their custody the seals were not tampered with. The inevitable effect of this omission is that the prosecution failed to rule out the possibility of the samples being changed or tampered

with during this period a fact which had to be proved affirmatively by the prosecution."

वलसाला बनाम स्टेट ऑफ केरल (उपरोक्त) विनिश्चय में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पैरा 4 में निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया है :

"4. ..... Suffice it to say that the article seized appears to have been not kept in proper custody and proper form so that the court can be sure that what was seized only was sent to the Chemical Examiner. There is a big gap and an important missing link. In the mahazar Ex.P.2 which is immediately said to have been prepared, there is nothing mentioned as to under whose custody it was kept after seizure. Unfortunately for the prosecution even PW 6 does not say that he continued to keep it in his custody under seal till it was produced in the court on 14.1.88. ..... Therefore the evidence adduced is wholly insufficient to conclude that what was seized from the appellant alone was sent to the Chemical Examiner. Though this is purely a question of fact but this is an important link. Both the courts below have not examined his aspect in a proper perspective. No doubt the trafficking in narcotic drugs is a menace to the society but in the absence of satisfactory proof, the courts cannot convict."

गुरमेल सिंह बनाम राजस्थान राज्य (उपरोक्त), जो इस न्यायालय का विनिश्चय है, इसमें स्पष्ट रूप से यह सिद्धान्त दिया गया है कि आबकारी निरीक्षक द्वारा थैले से अफीम की भूसी की बरामदगी की गई थी। अभियोजन यह साबित करने में असफल रहा कि जांच किया गया नमूना वही था जो अभियुक्त से जब्त किये निषिद्ध पदार्थ से लिया गया था। नमूना सील की फर्द मौके पर तैयार नहीं की न इसे एफ.एस.एल. को भेजी।

बरामदगी के मौतबीरों ने इसका समर्थन नहीं किया है। मौतबीरों ने कथन किया कि सभी कागजों पर उन्होंने आबकारी कार्यालय में हस्ताक्षर किए। सील आबकारी निरीक्षक के पास रही, अत: नमूने अटूट रहना संदेहप्रद माना गया और अभियुक्तगण को संदेह का लाभ दिया गया। इस विनिश्चय के पैरा 15 व 19 में निम्न प्रकार है :

> "15. ..... therefore, there is absolutely no proof in corroboration of the statement of Braham Dev that the packets of the bulk contraband as well as the sample so prepared at the site if any, from 18.5.1995 to 20.5.1995, were kept safe and secure and in intact condition without taking/giving any opportunity for tampering with the same till they were despatched to and deposited with the Excise Laboratory."

> "19. Since, as observed hereinbefore, PW1 Bant Ram and PW 3 Prem Kumar have denied that PW 2 Braham Dev conducted any search and seizure of contraband from the person of the appellant and they were made to sign all the papers at the Excise Office itself and, in these circumstances, when the seal so used remained in possession and with Braham Dev himself till the same was made over to PW 5 Kesara Ram and, subsequently, Kesara Ram also had occasion to have used the same in the manner he liked before he took an impression of the same on Ex.P/10 while sending the sample packet with PW 6 Kalu Ram to Excise Laboratory, Jodhpur and, therefore, in absence of entries of 'malkhana' Register and so also the person in immediate control and custody of the 'Malkhana' and, besides, Kesara Ram while taking the charge of the sample packet having not put his seal on the packet and instead without any record about the condition of the sample packet either at the time of its receipt, deposit in the 'malkhana' and thereafter while removing from the 'Malkhana' have been delivered to PW 6 Kalu Ram till it was received at the Excise Laboratory at Jodhpur.

योग्य जन अभियोजक द्वारा प्रस्तुत अशोक कुमार बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा (उपरोक्त) वाले विनिश्चय के पैरा 9 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया है :

> "9. It was strongly submitted that, as admitted by P?W 1, the seals on the packets produced before the Court were very faint and could not be read properly. Thus there was no reliable evidence to prove that the samples seized from the appellant were the same as were examined by the chemical analyser. There is no substance in this contention. The report of the chemical analyser clearly establishes that the articles examined by him were the articles connected with this case. Neither was the report of the chemical analyser challenged nor was any application given for examining him as a witness to establish that the seals on the samples were faint when received by him and it was not possible to say whose seals they were."

मैंने उपरोक्त विनिश्चयों का आदर पूर्वक अवलोकन किया। उपरोक्त विनिश्चयों से स्पष्ट सिद्धान्त मिलता है कि अभियोजन पक्ष पर यह भारी भार है कि वह यह शक से परे पूर्ण रूप से प्रमाणित करे कि माल बरामदगी से लेकर नमूने विधि विज्ञान प्रयोगशाला पहुंचे तब तक सीलबन्द सुरक्षित हालत में रहे। इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के अवलोकन के बाद दोनों पक्षों के तर्को पर विचार करें। इस न्यायालय को यही बिन्दु देखना है कि क्या जो सैम्पल मौके पर कथित रूप से डोडा पोस्त का चूरा बरामद किया गया व नमूने लिए गए वे बरामदगी से लेकर विधि विज्ञान प्रयोगशाला पहुंचे तब तक सीलबन्द सुरक्षित हालत में रहे अथवा नहीं और इस दौरान यह किसके कब्जे में व किस हालत में रहे, पर विचार करना है।

जहां तक योग्य जन अभियोजक द्वारा प्रस्तुत विनिश्चय अशोक कुमार बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा (उपरोक्त) का प्रश्न है, उस प्रकरण में यह प्रश्न उठा था कि नमूनो पर सील लगाई गई थी वे बहुत ही फेन्ट थी और पढ़ने में नहीं आ रही थी इसलिए यह तर्क उठाया गया कि कोई भी विश्वसनीय साक्ष्य नहीं है कि नमूने जो भेजे गए, अभियुक्त से बरामदशुदा माल के ही हों। माननीय उच्चतम न्यायालय ने उपरोक्त तथ्यों पर यह पाया कि रासायनिक परीक्षण की रिपोर्ट से यह साबित होता है कि जिन नमूनो की जांच की गई, वे उसी केस से सम्बन्धित थे। रासायनिक परीक्षक की रिपोर्ट को चुनौती नहीं दी गई और न कोई प्रार्थना-पत्र अधीनस्थ न्यायालय में दिया गया कि उसे गवाह के रूप में बुलाया जावे ताकि सीलें जो लगी थी वे स्पष्ट थी अथवा नहीं, उसके बारे में पूछा जा सकता था। इन तथ्यों के आधार पर उपरोक्त विनिश्चय दिया गया है।

जहां तक बरामदगी का प्रश्न है, इस प्रकरण में स्वतंत्र साक्ष्य अभियोजन पक्ष की मदद नहीं करती। पी.ड.1 जगदीश, पी.ड.2 गुरदयाल सिंह एवं पी.ड.3 गुरदीप सिंह, सभी पक्षद्रोही हुए हैं। पी.ड.4 जनकराज मोपेड बेचने वाला है, जिसका कथन है कि भागीरथ पुत्र गंगाराम को मोपेड बेची, जिसका बिल प्रदर्श पी.13 है, मगर मोपेड के खरीददार न्यायालय में मौजूद हो तो उसे पता नहीं, वह उसे नहीं पहचानता। प्रदर्श पी.13 पर हस्ताक्षर भागीरथ नामक व्यक्ति के हैं, वह हाजिर अदालत मुल्जिम ने उसके सामने नहीं किए। इस प्रकार स्वतंत्र गवाह कोई भी अभियोजन पक्ष की मदद नहीं करता। इस प्रकरण में साक्ष्य में पी.ड.5 दुलीराम, पी.ड.6 रविप्रकाश, पी.ड.7

जयनारायण, पी.ड.8 शिवसिंह व पी.ड.9 जगदीश प्रसाद के बयान कराए गए हैं।

पी.ड.9 जगदीश प्रसाद ने प्रकरण में तफ्तीश की है, मगर उसका यह कथन रहा है कि 13.6.1998 को आबकारी निरीक्षक, नोहर के पद पर तैनात था। जिला आबकारी अधिकारी के आदेश दिनांक 13.6.1998 की पालना में हनुमानगढ़ पहुंचकर शिवसिंह, निरीक्षक, वृत्त हनुमानगढ़ से सरकार बनाम भागीरथ आदि, एफ.आई.आर. नं. 8/98 की अभियोग पत्रावली मय अभियुक्तगण भागीरथ व भंवरलाल के साथ आगे की तफ्तीश शुरू की। अभियुक्तगण से पूछताछ की गई व गवाहों के बयान लिए। मकान की तस्दीक के बारे में नक्शा मौका तैयार किया और नगर पालिका अध्यक्ष से उसकी पुश्त पर उसकी तस्दीक प्राप्त की और अभियुक्तगण के विरूद्ध चालान पेश किया। जिरह में यह भी स्वीकार करता है कि यह बात सही है कि इस मुकदमे की तफ्तीश चालान पेश होने तक यह पत्रावली उसके पास रही। जब उसे यह पत्रावली प्राप्त हुई तब वह नोहर तैनात था। इस प्रकार दिनांक 13.6.1998 से चालान पेश करने की तारीख तक पत्रावली उसके पास ही रही है और बाद तफ्तीश इसी के द्वारा चालान पेश किया गया। इस गवाह ने अपने बयानो में कहीं भी यह नहीं बताया कि तफ्तीश के दौरान नमूने जांच हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजे तब तक किसके कब्जे में किस प्रकार व किस हालत में रहे। इस सम्बन्ध में भी जगदीश प्रसाद तफ्तीश कुनिन्दा ने कोई साक्ष्य नहीं दी। सूत्र साक्ष्य के बिन्दु तक प्रकरण में इस न्यायालय को देखना है। इस सम्बन्ध में शिवसिंह का बयान ही महत्वपूर्ण रह जाता

है, जिसके द्वारा यह बरामदगी करना बताया गया है।

पी.ड.8 शिवसिंह का कथन है कि 12.6.1998 को वह और जयनारायण पी.ओ., रविगार्ड, दुलीराम गार्ड मय ई.पी.एफ. पार्टी के हनुमानगढ़ जंक्शन के लिए गश्त के लिए रवाना हुए थे। गश्त करते हुए हनुमानगढ़ जंक्शन के बाजार की तरफ पहुंचे तो मुखबीर से इतिला मिली कि बाईपास के पास जो खुंजा है उसमें भागीरथ एवं भंवरलाल नाम के दो व्यक्ति नाजायज पोस्त का धन्धा करते हैं और इस वक्त भागीरथ के मकान में दोनों व्यक्ति पोस्त रखे हुए हैं। यह इतिला उसने प्रदर्श पी.14 के जरिए कलमबन्द की और इसकी एक प्रति उच्चाधिकारियों को भेजने के लिए दुलीराम के साथ उच्चाधिकारियों को भेजी। उसके बाद गवाहों को नोटिस दिया गया और मुखबीर की इतिला प्रदर्श पी.19 दर्ज की और इतिला के अनुसार स्थान पर पहुंचे। वहां देखा कि एक मकान में जो चारों तरफ से दीवारो से घिरा था, चौक में दो व्यक्ति दिखे जो एक मोपेड पर बोरी बान्ध रहे थे। उन्हें उसी हालत में खड़े रहने की हिदायत दी गई। दोनों के नाम पते पूछे गए। मुल्जिमान को भी प्रदर्श पी.2 व 3 नोटिस दिया जिसमें उन्हें पूछा गया कि उनके पास अवैध डोडा पोस्त है, वे अपनी व अपने मकान की तलाशी मजिस्ट्रेट अथवा राजपत्रित अधिकारी से करवाना चाहते हैं, तो मुल्जिमान ने नोटिस की पुश्त पर शिवसिंह से तलाशी लिवाने की सहमति जाहिर की। उसके बाद तलाशी ली गई। मोपेड पर लदी हुई बोरी को भी उतराया गया जिसमें डोडा पोस्त चुरा मिला। मकान की तलाशी ली जहां पांच बोरी डोडा पोस्त मिला। कुल 222 किलोग्राम डोडा पोस्त बरामद हुआ जिसमें से 250-

250 ग्राम के सैम्पल निकाले गए, जिन्हें अलग से प्लास्टिक की थैलियों में डाला गया और सील मोहर किया गया। शेष माल को भी सील किया गया। तमाम सैम्पलों व बोरियों को सील मोहर करने के बाद शेष माल को भी सील मोहर करने के बाद फर्द बरामदगी प्रदर्श पी.4 तैयार की। मोपेड भी कब्जा पुलिस ली गई। घटनास्थल पर जिस सील से सैम्पल व वजह सबूत सील मोहर किए गए थे उसकी फर्द नमूना सील तैयार की गई थी जो प्रदर्श पी.9 है व एक्स स्थान पर वह नमूना सील लगाई गई थी जिससे वजह सबूत सैम्पल व बोरियों को सील मोहर किया। मुकदमा दर्ज होने के बाद अनुसन्धान जगदीश प्रसाद को दिया गया। बाद अनुसन्धान पत्रावली उसे दी। इस पर सैम्पल जो लिए थे, विधि विज्ञान प्रयोगशाला के लिए पत्र प्रदर्श पी.16 लिखा था। प्रदर्श पी.16 के जरिए दुलीराम गार्ड के साथ सैम्पल 1 से 6 भिजवाए। दुलीराम ने विधि विज्ञान प्रयोगशाला में माल जमा कराया और रसीद पेश की। इस प्रकरण की प्रथम सूचना प्रदर्श पी.20 उसके द्वारा दर्ज की गई। विधि विज्ञान प्रयोगशाला से जो पत्र प्राप्त हुआ और रिपोर्ट प्राप्त हुई वह प्रदर्श पी.21 व 22 है। बोरियों पर आर्टिकल 1 से 6 अंकित है। घटनास्थल पर जो कन्ट्रोल सैम्पल लिए गए थे वे आर्टिकल 7 से 12 हैं और बकाया माल आर्टिकल 13 से 18 डाले गए। विधि विज्ञान प्रयोगशाला से जो माल लौटकर आया उसमें निकली दस्तखती चिटों पर प्रदर्श पी.24 से 29 लगाया गया, जिन पर भी गवाहों व इस गवाह स्वयं के हस्ताक्षर होना बयान किया है और एक्स स्थान पर नमूना सील अंकित होना बताया है। इस प्रकार इस गवाह का कथन है कि इस मुकदमे का अनुसन्धान जगदीश प्रसाद ने किया और अनुसन्धान के बाद उसे पत्रावली

दी, उसके बाद उसके द्वारा सैम्पल विधि विज्ञान प्रयोगशाला में प्रदर्श पी.16 के जरिए भेजा गया, जबकि जैसाकि जगदीश प्रसाद के बयान देखे गए हैं कि 13.6.1998 को उसे तफ्तीश मिली और चालान पेश होने तक पत्रावली उसके पास ही रही। सैम्पल भेजने का वह कथन नहीं करता। बरामदगी करके सैम्पल निकालना शिवसिंह ने अपने बयानो में अवश्य कहा है, मगर यह सैम्पल एफ.एस.एल. भेजे तब तक किसके कब्जे में व किस हालत में रहे, शिवसिंह ने अपने बयानो में कोई कथन नहीं किया, न मालखाना रजिस्टर ही पेश किया गया है। जिरह में इसका यह भी कथन रहा कि जब तक सैम्पल विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजे गए और बरामदगी के समय वह हनुमानगढ़ टाऊन में ही कार्यरत रहा, मगर सील जिससे माल सीलबन्द किया गया वह सील किसी मौतबीर या अन्य किसी को नहीं सौंपी एवं स्वयं उसके पास ही रही है। इस प्रकार इस गवाह ने अपने बयानो में कहीं भी कथन नहीं किया कि माल बरामदगी के बाद किस व्यक्ति के कब्जे में रहा और किस हालत में रहा। मालखाना रजिस्टर भी पेश नहीं किया गया।

मैंने उपरोक्त गवाह के अलावा अन्य साक्ष्य का भी अवलोकन किया। जैसाकि ऊपर लिखा जा चुका है पी.ड.1 से लगायत पी.ड.3 बरामदगी के सम्बन्ध में गवाह थे, मगर वे पक्षद्रोही हुए हैं और पी.ड.4 जनकराज मोपेड बेचने वाला व्यक्ति है। पी.ड.5 दुलीराम वह व्यक्ति है जो आबकारी निरीक्षक के साथ मौके पर भी गया है और वहां पर उसे डी.ओ. ऑफिस के लिए मुखबीर की सूचना की प्रति लेकर जाने के सम्बन्ध में बयान दिए, जो तहरीर लेकर आया वह प्रदर्श पी.14 है। इसके बाद 7.7.1998 को इस

मुकदमे की तहरीर व 6 सैम्पल आबकारी प्रयोगशाला, जोधपुर में जमा कराने के लिए शिवसिंह ने उसे दिए जो वह जोधपुर आबकारी प्रयोगशाला में पहुंचकर उसने जमा कराए। हनुमानगढ़ से रवाना होने का असल रजिस्टर वह लाया जो प्रदर्श पी.15 है जिस पर उसके हस्ताक्षर है। जो तहरीर वह लेकर गया वह प्रदर्श पी.16 है। माल जब तक उसके पास रहा, सुरक्षित हालत में रहा। वह जोधपुर से 7.7.1998 को गया और सैम्पल शिवसिंह ने उसे दिए।

पी.ड.6 रविप्रकाश का मात्र यही कथन है कि मौके पर तमाम बरामदगी की कार्यवाही होने के बाद वजह सबूत मय मुल्जिमान के कार्यालय लौटकर आए। यह कार्यालय हनुमानगढ़ टाऊन में है। इसके अलावा इसका कोई भी कथन नहीं है कि माल किसके पास किस स्थिति में रहा।

पी.ड.7 जयनारायण शिवसिंह के साथ गश्त में जाना और बरामदगी के सम्बन्ध में साक्ष्य देता है। मुल्जिमान को गिरफ्तार किया, मौके पर नमूना सील बनाने के सम्बन्ध में भी साक्ष्य देता है और मौके पर कार्यवाही के बाद कार्यालय पहुंचने की साक्ष्य दी गई है। सैम्पल बरामदगी के बाद किस व्यक्ति के कब्जे में, किस हालत में रहा इस सम्बन्ध में इसने कोई भी साक्ष्य नहीं दी। जिरह में इसने अवश्य स्वीकार किया कि शिवसिंह हमारी टीम में शामील थे किन्तु वे हमारे कार्यालय के नहीं हैं और न ही वो उसके अधीनस्थ है उन्होंने हमारी टीम को साथ लिया था। यह गवाह आबकारी निरोधक टीम का इंचार्ज था जिसे शिवसिंह गार्ड के साथ लेकर गया है। इस प्रकार यह गवाह भी माल बरामदगी के बाद कहां, किसके पास रहा कोई

बात नहीं बता सकता।

पी.ड.8 शिवसिंह ही इस प्रकार महत्वपूर्ण गवाह था जिससे दुलीराम माल लेकर गया और शिवसिंह ने माल बरामद भी किया, जो 12.6.1998 को किया है और माल जांच के लिए 7.7.1998 को पी.ड.5 दुलीराम के साथ विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया है। यह वास्तव में बहुत दुःख का विषय है कि शिवसिंह ने इस सम्बन्ध में अपने बयानो में बरामद किया हुआ माल किसके पास, किन परिस्थितियों में रहा व सुरक्षित भी रहा अथवा नहीं, और माल बरामदगी के पश्चात कहां जमा कराया गया व किस हालत में रखा गया, कोई भी साक्ष्य नहीं देता। मुकदमे की तफ्तीश शिवसिंह ने नहीं की है, मुकदमे की तफ्तीश जगदीश प्रसाद द्वारा की गई। जगदीश प्रसाद, जो तफ्तीश कुनिन्दा है, उसने माल की जांच विधि विज्ञान प्रयोगशाला से कराई हो, कोई भी तथ्य अपने बयानो में नहीं बताया। जैसाकि ऊपर विवेचित किया जा चुका है कि 13.6.1998 को इस प्रकरण की तफ्तीश उसने ली और मुल्जिमान के विरूद्ध चालान भी पेश किया और चालान पेश किया तब तक पत्रावली उसके पास ही रही, किसी और के पास नहीं रही। इन परिस्थितियों में शिवसिंह का यह कथन कि तफ्तीश के बाद पत्रावली उसे सौंपी गई थी और उसके द्वारा माल बाद में दुलीराम के साथ विधि विज्ञान प्रयोगशाला भिजवाया गया, कतई अविश्वसनीय हो जाता है और वह स्वीकार योग्य नहीं रहता। जैसाकि उक्त विनिश्चयों में देखा गया है, माल बरामदगी से लेकर रासायनिक परीक्षण तक पहुंचे तब तक माल किसके पास रहा, सीलबन्द हालत में रहा अथवा नहीं, सुरक्षित हालत में रहा अथवा नहीं, सील

इंटेक्ट रही अथवा नहीं, तमाम साक्ष्य अभियोजन पक्ष को पेश करनी चाहिए। इस प्रकरण में माल की बरामदगी शिवसिंह द्वारा की गई, मगर तफ्तीश शिवसिंह द्वारा नहीं की गई बल्कि तफ्तीश जगदीश प्रसाद द्वारा की गई है और 13.6.1998 के बाद चालान पेश होने तक पत्रावली जगदीश प्रसाद के पास ही रही। शिवसिंह के पास माल बरामदगी के बाद रहा हो, शिवसिंह ने अपने बयानो में कोई कथन नहीं किया। दुलीराम का मात्र यही बयान रहा कि शिवसिंह ने उसे 6 सैम्पल विधि विज्ञान प्रयोगशाला में जमा कराने के लिए दिए और शिवसिंह का भी यही कथन रहा कि उसने माल प्रयोगशाला में भिजवाया। मगर यह स्पष्टीकरण 7.7.1998 को माल शिवसिंह के पास था ही प्रमाणित करता है, बरामदगी की दिनांक 12.6.1998 से लेकर 6.7.1998 तक 25 दिन की अवधि तक यह माल किसके पास, किस हालत में रहा, इसका कोई भी स्पष्टीकरण रेकर्ड पर नहीं मिलता। इस प्रकार मौके पर जो कथित रूप से डोडा पोस्त की बरामदगी की गई उसमें से जो सैम्पल आर्टिकल 1 से 6 निकाले गए व जिन सैम्पल को जांच के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा जाना बताया गया है, क्या वही माल विधि विज्ञान प्रयोगशाला पहुंचा जो मौके पर सीलबन्द किया गया था, इसकी कोई सूत्र साक्ष्य रेकर्ड पर नहीं आई है। यह सही है कि जो माल विधि विज्ञान प्रयोगशाला से वापस आया उसे खोला गया और उसमें चिटें बरामद हुई, जिसके बारे में इस गवाह के बयान आए हैं। इन चिटों को प्रदर्श पी.24 से 29 मार्क भी किया गया, जिन पर गवाहों व मुल्जिमान के हस्ताक्षर होना बताए गए हैं, मगर इस साक्ष्य से भी अभियोजन पक्ष को कोई मदद नहीं मिलती। शिवसिंह ने अपने बयानो में स्पष्ट रूप से माना है कि जब से

माल बरामद किया गया और विधि विज्ञान प्रयोगशाला में माल भेजा गया तब तक वह हनुमानगढ़ टाऊन में ही तैनात रहा। सील जिससे मौके पर माल सीलबन्द किया गया था वह सील उसके पास ही रही, उसने किसी भी मौतबीर या किसी अन्य व्यक्ति को नहीं सौंपी। इस प्रकार जिस सील से माल सीलबन्द किया वह शिवसिंह के पास ही रही है तथा कथित बरामदगी के बाद, यदि कुछ समय के लिए विकल्प में यह मान भी लिया जावे कि माल भी उसके पास ही रहा है और सील, जिससे नमूने सीलबन्द किए गए, वह भी उसके पास ही रही है, तो इस प्रकरण में माल के टेम्पर विद होने की पूर्ण सम्भावना रहती है, इससे नहीं नकारा जा सकता। कभी भी माल को पुन: सीलबन्द किया जा सकता है, चिटें लगाई जा सकती है और माल बदला भी जा सकता है। प्रकरण में मालखाना रजिस्टर तक पेश करने का प्रयास अभियोजन पक्ष ने नहीं किया है, जो अभियोजन पक्ष के विरूद्ध जाता है कि माल थाने में लाए तब तक माल सीलबन्द हालत में रहा अथवा नहीं और सीलबन्द हालत में भी माल थाने पर पहुंचा अथवा नहीं। यह सही है कि स्वतंत्र गवाह अभियोजन पक्ष की मदद नहीं करते और मात्र विभागीय गवाह ही मौके पर सीलबन्द करने और उसके सम्बन्ध में नमूना सील बनाने के बारे में साक्ष्य देते हैं। यदि माल मौके पर सीलबन्द किया जाकर निरीक्षक कार्यालय में लाया जाता तो माल निरीक्षक कार्यालय के मालखाना में जमा होना चाहिए था और किसी व्यक्ति को इसका इंचार्ज बनाया जाना चाहिए था, जो यह प्रमाणित करता कि वास्तव में माल सुरक्षित व सीलबन्द हालत में मालखाना इंचार्ज के पास रहा है। यदि शिवसिंह ही कार्यालय का इंचार्ज था तो उसे यह प्रमाणित करना चाहिए था कि बरामद करके

कार्यालय में माल लाया और विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा तब तक माल उसके पास सीलबन्द हालत में सुरक्षित रहा। मगर इस सम्बन्ध में शिवसिंह ने अपने बयानो में एक शब्द भी नहीं कहा।

मैं योग्य अभिभाषक अपीलाण्ट के उपरोक्त तर्को से सहमति रखता हूं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय को नहीं मानने के जो आधार लिखे हैं वे स्वीकार किए जाने योग्य प्रतीत नहीं होते। इसके अलावा अन्य विनिश्चय, जैसाकि ऊपर देखे गए हैं, उनमें आए सिद्धान्तों को देखते हुए, अभियोजन पक्ष पर यह भारी भार रहता है कि वह प्रमाणित करे कि बरामदगी से लेकर माल विधि विज्ञान प्रयोगशाला पहुंचा तब तक सीलबन्द हालत में सुरक्षित रहा व तमाम साक्ष्य अभियोजन पक्ष को शक से परे पूर्ण रूप से प्रमाणित करनी चाहिए। इस प्रकरण में ऐसी साक्ष्य नहीं आई है कि माल बरामदगी से लेकर विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा तब तक 25 दिन तक माल किसके पास, किस हालत में रहा, यह पूरी सूत्र साक्ष्य इस प्रकरण में मिसिंग रही है। इसके अलावा, जैसाकि गुरमेल सिंह बनाम राजस्थान राज्य (उपरोक्त) वाले विनिश्चय में इस न्यायालय ने प्रतिपादित किया है कि सील, जिससे माल सीलबन्द किया गया यदि आबकारी निरीक्षक के पास ही रहे तो यह सील अटूट रही हो, अन्तिम स्टेज तक सन्देहजनक बनाता है क्योंकि सील से जिस अधिकारी द्वारा माल सीलबन्द किया गया वह उसी के पास रही और माल भी उसी के पास रहा तो मौके पर बरामदशुदा माल से नमूने निकाले जाना और मौके पर उसे सीलबन्द किया जाना, मौतबीरों के चिटों पर

हस्ताक्षर करवाना, ये तमाम कार्यवाही अशुद्ध हो जाती है और यह शक अन्तिम समय तक बना रहता है कि जब सील स्वयं आबकारी निरीक्षक के पास रही है, इसका दुरूपयोग किसी भी स्टेज पर किया जा सकता है और कभी भी इस प्रकार के सैम्पल तैयार किए जा सकते हैं, इससे नहीं नकारा जा सकता। योग्य अभिभाषक अपीलाण्टान द्वारा जो उपरोक्त विनिश्चय प्रस्तुत किए गए हैं, उनसे मैं स्पष्ट रूप से बल पाता हूं, मगर जहां तक योग्य जन अभियोजक द्वारा प्रस्तुत विनिश्चय का प्रश्न है, उस प्रकरण में यह प्रश्न उठा था कि सैम्पल पर जो सीलें लगी हुई है अस्पष्ट है और पढ़ने योग्य है अथवा नहीं, उन तथ्यों के आधार पर उपरोक्त विनिश्चय दिया गया था कि रासायनिक परीक्षक को साक्ष्य में नहीं बुलाया गया न ही रासायनिक परीक्षक की रिपोर्ट को अधीनस्थ न्यायालय में चुनौती दी गई थी। इन परिस्थितियों को देखते हुए यह नहीं माना गया कि जो सील नमूनो पर लगी थी अस्पष्ट थी अथवा नहीं। मगर यह ऐसा प्रकरण नहीं है कि सीलें जो नमूनो पर लगी थी स्पष्ट थी अथ्वा नहीं, बल्कि इस प्रकरण में प्रश्न यह है कि माल दिनांक 12.6.1998 को बरामद किया गया एवं रासायनिक परीक्षण के लिए दिनांक 7.7.1998 को दुलीराम के साथ विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया, तब तक किसके कब्जे में, किन परिस्थितियों में रहा, सुरक्षित रहा अथवा नहीं। इस प्रकार उपरोक्त विनिश्चय, जो योग्य जन अभियोजक ने पेश किया है वह उनकी कोई सहायता नहीं करता। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन से, इस प्रकरण में दिनांक 12.6.1998 को माल जब्त किया गया और उससे जो नमूने निकाले गए, वे दिनांक 6.7.1998 तक किस व्यक्ति के कब्जे में, किसकी सुरक्षा में व किस हालत में रहे, इसकी कोई

साक्ष्य नहीं आई है। इसके अलावा सील, जिससे माल सीलबन्द किया गया, निरीक्षक, जिसने बरामदगी की, उसी के कब्जे में रही है। शिवसिंह का यह कथन रहा कि उसने यह माल दुलीराम के साथ विधि विज्ञान प्रयोगशाला में जमा कराने के लिए भेजा था। इन सभी आधारों पर विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट अभियुक्त के विरूद्ध नहीं पढ़ी जा सकती। अधीनस्थ न्यायालय ने, ऐसा प्रतीत होता है, उपरोक्त बिन्दु पर सही रूप से विचार नहीं किया है।

उपरोक्त सभी विवेचन से, यह अपील स्वीकार किए जाने योग्य है, जो स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं दण्डादेश दिनांक 26.5.1999 अपास्त किया जाता है और अपीलाण्टान भागीरथ एवं भंवरलाल को धारा 8/15 स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम के आरोप में निर्दोष करार दिया जाकर बरी किया जाता है। अपीलाण्टान न्यायिक हिरासत में हैं, यदि उनकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता नहीं हो तो उन्हें तुरन्त रिहा कर दिया जावे।

(न् यायाधिपति कृष् णकुमार आचार्य)

जी.एन.शर्मा]